



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

13 भाद्र 1947 (श10)
(सं० पटना 1471) पटना, बृहस्पतिवार, 4 सितम्बर 2025

बिहार विधान परिषद् सचिवालय

अधिसूचना
11 जुलाई 2025

सं० वि.प.स्था.-186/2023(नी.वि.)-2016(2)/वि.प.—सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना सं०-19300, दिनांक- 13.10.2023 में निहित अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था के तहत उच्चतर पद का प्रभार देने हेतु मूल कोटि की वरीयता के आधार पर बिहार विधान परिषद् के निम्नलिखित निजी सहायक को आप्त सचिव के विहित वेतनमान (वेतन स्तर- 9) में, अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार दिया जाता है-

1. श्री चैतन्य मिश्रा
2. श्रीमती सौम्या सिन्हा
3. सुश्री वर्षा कुमारी

भविष्य में किसी प्रकार की त्रुटि/ विसंगति पाये जाने पर संबंधित कर्मियों को प्रदत्त प्रभार आदेश को भूतलक्षी प्रभाव से रद्द/ संशोधित कर दिया जाएगा तथा भुगतान की गई अन्तर राशि की भी वसूली कर ली जाएगी।

उपर्युक्त पदाधिकारियों द्वारा वर्तमान में धारित पद को अगले आदेश तक आप्त सचिव के पद (विहित वेतनमान वेतन स्तर-09) में उत्क्रमित किया जाता है।

पदभार ग्रहण करने की तिथि से आप्त सचिव के पद पर अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार का आर्थिक लाभ देय होगा।

सभापति, बिहार विधान परिषद् के आदेश से,
नवीन कुमार मिश्र,
उप सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 1471-571+10-डी0टी0पी0
Website : <https://egazette.bihar.gov.in>